न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :22/2017

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
जवराराम पुत्र श्री केसारामजी, जाति जाट, निवासी भाण्डूखुर्द, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01. रामाराम पुत्र श्री मादारामजी, जाति पटेल, निवासी भाण्डू–फिंच रोड़ पर, गांव कटारड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 02. हीराराम पुत्र श्री खेतारामजी, जाति पटेल, निवासी गांव कटारड़ा के कायम मुकाम–मथुरादेवी पत्नि श्री हीरारामजी, जाति पटेल, निवासी कटारड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 03. वागाराम, भल्लाराम, सुजाराम पुत्रान पेमारामजी, जाति पटेल, निवासी कटारड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 04. ताजाराम पुत्र श्री खोतारामजी, जाति पटेल, निवासी भाण्डू–फिंच रोड़ पर, गांव कटारड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 05. मंगलाराम पुत्र खेताराम के वारिसान–मथुरादेवी पत्नि मंगलाराम, फूलीदेवी पत्नि पोलाराम, ढ़लाराम, भगाराम पुत्रगण पोलाराम, इन्द्रा, गीता, लीला पुत्रीयां पोलाराम, जातियान पटेल, निवासी भाण्डू–फिंच रोड़, गांव कटारड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 06. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थी संख्या एक की और से श्री हनुमान प्रजापति ।
3. शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित ।

आदेश

दिनांक :– 9.1.2020

पत्रावली पर पूर्व में बहस सुनी गयी । पत्रावली आज वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 205 वाके ग्राम रामनगर, पटवार क्षेत्र बड़लिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आयी हुई स्थित हैं एवं इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी की कृषि भूमि वाके बासनी झूंठा में खसरा संख्या 11/13 एवं इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या दो की खसरा संख्या 244/207, अप्रार्थी संख्या तीन की खसरा संख्या 207, अप्रार्थी संख्या चार की खसरा संख्या 242/207, अप्रार्थी संख्या पांच की खसरा संख्या 243/207 की भूमियां भी वाके रामनगर, पटवार क्षेत्र बड़लिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आयी हुई स्थित हैं । खसरा संख्या 11/13 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे भाण्डू–फिंच–धून्धाड़ा डामर सड़क चलती हैं जो कि राजस्व नक्शें में अंकित हैं । प्रार्थी की खातेदारी की भूमि तक पूर्व में कादीमी रास्ता खसरा संख्या 11/13 एवं मूल खसरा संख्या 207 में से होता हुआ खसरा संख्या 205 में आता था जिसका राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं हैं । इस कादीमी रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक नजदीकी रास्ता उपलब्ध नहीं हैं । प्रार्थी द्वारा चाहे गये 20 फुट रास्ते का नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं । उक्त नजरी नक्शें अनुसार चल रहें रास्ते का अंकन राजस्व रेकर्ड में नहीं होने की वजह से अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी को परेशान करते हैं एवं अपनी मनमर्जी से ही उक्त रास्ते पर चलने देते हैं एवं उनकी मनमर्जी पड़े तब रास्ता बन्द कर देते हैं । प्रार्थी नियमानुसार चाहे गये रास्ते की राशि अप्रार्थीगण को

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

अदा करने हेतु तैयार हैं एवं अन्त में निवेदन किया कि संलग्न नजरी नक्शें अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहूंचने हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। कुछ अप्रार्थीगण द्वारा अपनी सहमती भी दी गयी एवं उन्होने उपस्थित होकर आदेशिका पर सहमती जाहिर कर अपने हस्ताक्षर भी किये गये एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से जरिये अधिवक्ता अपना जवाब प्रस्तुत किया गया एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया ।

इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया हैं उसके अनुसार ही तहसीलदार लूणी ने भी उक्त रास्ते को दोनो पक्षकारों की सुनवाई बाद कटाणी रास्ता नक्शें में दर्ज करने हेतु अपने पत्र कमांक/राजस्व /2017/55 दिनांक 06.02.2017 को पत्र प्रेषित किया जो कि पत्रावली में संलग्न हैं । इसके पश्चात तहसीलदार लूणी के मार्फत मौका रिपोर्ट भी मंगवायी गयी जो कि कमांक/भू.अ./2018/201 दिनांक 08.01.2018 की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.12.2017 की मौका रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न हैं जिसमें प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को खसरा संख्या 11/13 व 244/207 की माठ के सहारे सहारे प्रस्तावित किया गया लेकिन उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति होने पर पुनः मौका रिपोर्ट भी उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार कर मंगवायी गयी वह भी पत्रावली में संलग्न हैं जो कि दिनांक 16.10.2018 की हैं तथा उस मौका रिपोर्ट में भी जो दिनांक 19.12.2017 की मौका रिपोर्ट हैं उसके अनुसार ही रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं ।

प्रकरण में उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु किसी प्रकार का कोई कटाणी रास्ता नहीं हैं तथा इस प्रकरण में दो बार मौका रिपोर्ट मंगवाई जा चुकी हैं जिसमें भी कटाणी रास्ता प्रार्थी के खेत तक नहीं होने के कारण जो मोका रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया हैं उसे उपलब्ध करवाया जावें तथा जो भी आदेशानुसार प्रतिफल राशि अप्रार्थीगण को देने का आदेश होगा वह प्रार्थी देने हेतु तैयार हैं । इसके विरोध में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक ने बताया कि प्रार्थी के खेत में जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत में से किसी प्रकार का रास्ता उपलबध नहीं करवाया जा सकता हैं क्योंकि प्रार्थी इतने वर्षो तक अन्य रास्ते का उपयोग करते हुए ही अपने खेत में आता जाता था तथा अप्रार्थीगण के खेत में से कभी भी नहीं आता जाता था एवं प्रार्थी ने जिन जिन खसरों में से रास्ता चाहा हैं उनके राजस्व नक्शें में तरमीम ही दर्ज नहीं हैं ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र इसी आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य हैं । अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक की और से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी हैं जो कि शामिल पत्रावली हैं । लिखित बहस में भी अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब अनुसार विरोध किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया । तहसीलदार लूणी द्वारा जो कदमी रास्ता अपने पत्र कमांक/राजस्व/2017/55 दिनांक 06.02.2017 को कटाणी नक्शा में दर्ज करने हेतु प्रेषित किया हैं वह प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अनुरूप हैं इससे यह प्रमाणित होता हैं कि प्रार्थी अपने खेत में इतने वर्षो तक इसी रास्ते का उपयोग करता आया हैं इसके पश्चात जो मौका रिपोर्ट दो बार पुनः मंगवायी गयी हैं उसमें भी सबसे लघुतम मार्ग उनके संलग्न जो नजरी नक्शा हैं उसके अनुसार प्रस्तावित किया गया हैं एवं उन मौका रिपोर्टो अनुसार प्रार्थी के खेत में जाने हेतु जो दोनो बार रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं वह रास्ता ही प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जा सकता हैं क्योंकि उक्त प्रस्तावित रास्ता उक्त दोनो खेतों की माठों के सहारे सहारे स्थित हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा फार्म नम्बर 3 के साथ अप्रार्थीगण मथूरादेवी वगैरा द्वारा रास्ते के लिए सहमती पत्र की छाया प्रति पेश की जो शामिल मिसल है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 205 ग्राम रामनगर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में जाने हेतु ग्राम बासनी झूंठा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 11/13 में से रकबा 19 बिस्वा, व ग्राम रामनगर, तहसील लूणी जिला जोधपुर मे खसरा संख्या 244/207 में से

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट दिनांक 19.12.2017 में अंकित नजरी नक्शा अनुसार 20 फुट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जावें तथा उक्त ग्राम बासनी झूंठा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 11/13 में से रकबा 19 बिस्वा, व ग्राम रामनगर, तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 244/207 में से रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण सार्वजनिक रास्ते की भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करें तथा उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 19.12.2017 में अंकित नजरी नक्शा अनुसार राजस्व नक्शें में भी तरमीम दर्ज करें एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 19.12.2017 इस आदेश का अंग शुमार माना जावें । उक्त रास्ते हेतु जो भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में से कम होगी उसके प्रतिफल के रूप में प्रार्थी, अप्रार्थीगण को वर्तमान डीएलसी दर जो कि कृषि भूमि की प्रति बीघा तय हैं उसके अनुसार गणना की जाकर उसकी दो गुणा राशि अप्रार्थीगण को अदा करेंगे । तहसीलदार लूणी से उक्त दोनो ग्रामों की कृषि भूमि की डीएलसी रेट मंगवाये जाने हेतु तहरीर जारी की जावें तथा प्रार्थी द्वारा प्रतिफल राशि के चैक अथवा डीडी न्यायालय में जमा करवा दिये जाने पर आदेश की पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी की जावें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हों ।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner